तहसील दिवस आयोजन संबंधी समीक्षा आख्या

दिनांक 20,01,2015 को मेरे द्वारा तहसील बैरिया (बलिया) में आयोजित तहसील दिवस में प्रतिभाग किया गया। तहसील बासडीह के तहसील दिवस का आयोजन अपर जिलाधिकारी (वित्त एव राजस्व)की अध्यक्षता में की गयी तथा शेष अन्य तहसीलों में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजित किया गया ।

2..तहसील बैरिया में आयोजित तहसील दिवस के दौरान प्रस्तुत उपस्थिति पंजिका का परीक्षण किया गया। परीक्षण के समय सभी सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित पायें । तहसील दिवस पर अनुपस्थित अधिकारियों के स्थान पर उनके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर हेतु एक अलग से रजिस्टर बनाया गया है, जिसमे उनके हस्ताक्षर प्राप्त किये जां रहे हैं। ये दोनो रजिस्टरो का रख-रखाव शासनादेश के निर्देशो के अनुकम में किया जा रहा है जिसमे अधिकारियों के नाम का अंकन सुन्दर अक्षरों में किया गया है।

3.तहसील दिवस दिनांक 20,01,2015 में कुल 105 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिन्हे सम्बन्धित विभाग के अधिकारियो को पृष्ठांकित करके मौके पर जांच कर निस्तारण आख्या उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध करा दिया गया तथा इनमें से 15 आवेदन पत्रों का निस्तारण तुरन्त मौके पर अधिकारी को भेजकर कराया गया । आवेदको द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्रों का पंजीकरण तहसील दिवस पंजिका व कम्प्यूटराइजेशन हेतु निर्धारित 10 अंको के कमांक में दर्ज कर आवेदको को हस्ताक्षरयुक्त मोहर सहित प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराया जा रहा था । इसके सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नही हुई। संबंधित प्रार्थना पत्रों में आवेदक या उसके सम्पर्क मोबाइल नं0 यथासम्भव अंकित कराए जा रहे है। तहसील दिवस पंजिका अद्यावधिक पाया गया ।

4.तहसील दिवस के दौरान प्रस्तुत आवेदन पत्र पंजिका के अवलोकन से विगत तहसील दिवस से सम्बन्धित कुल 04 सन्दर्भ कमशः **1आपूर्ति विभाग, 1चकबन्दी विभाग, 1पुलिस विभाग एवं 1 शिक्षा विभाग** का लम्बित होना बताया गया है। उप जिलाधिकारी बैरिया को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त लम्बित सन्दर्भो के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रभारी अधिकारी तहसील दिवस को उपलब्ध करायें तथा प्रभारी अधिकारी, तहसील दिवस सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करें कि वे लम्बित सन्दर्भो का निस्तारण प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करें।

5. समीक्षा के दौरान पाया गया कि तहसील दिवस में प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रो को तहसीलदार/नायब तहसीलदार की देख-रेख में उसी दिन उसकी छाया प्रति

तहसील में रखते हुए मूल प्रति संबंधित विभाग के अधिकारी की प्राप्ति हस्ताक्षर प्राप्ति पंजिका में लेकर समयबद्ध अवधि में कार्यवाही करने हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है । तहसील दिवस के आयोजन के बाद उसी दिन प्रारूप 5 व 6 पर सूचना भरने तथा प्रार्थना पत्रो को कम्प्यूटर में फीड कराने व बेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाहीतहसीलदार/ नायब तहसीलदार/उप जिलाधिकारी द्वारा कराए जाने सहित निस्तारण आंख्याओं को भी ससमय इन्टरनेट पर अपलोड कराने हेतु उन्हें निर्देशित किया गया । तहसील दिवस पर निरक्षर/अनपढ एवं विकलांग व्यक्तियों के आवेदन पत्र लिखने हेतु हेतु तहसील लिपिक की तैनाती की गयी थी, जिनके द्वारा निरक्षर/अनपढ़ एवं विकलांग आवेदको के आवेदन पत्र लिखने में अपेक्षित सहयोग किया जा रहा था ।

6.तहसील दिवस के प्रारम्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व के तहसील दिवसो में लम्बित संदर्भो एवं उनके लम्बित रहने के कारणों तथा प्रार्थना पत्रो के निस्तारण की गुणवत्ता की भी समीक्षा की गई । कतिपय शिकायतों के निस्तारण के संबंध में शिकायतकर्त्ता के मोबाइल से पुष्टि कराई गई तथा आख्या संतोषजनक पायी गयी । तहसील दिवस पंजिका में निस्तारित की गई कुछ जांच आख्याओ का रेण्डम जांच दूसरे विभाग के अधिकारी को मौके पर शिकायतकर्त्ता से वार्ता कर निस्तारण की स्थिति की जानकारी हेतु भेजा गया और तहसीलदार बैरिया को निर्देशित किया गया कि क्रास चेकिंग में यदि प्रतिकूल आख्या प्राप्त होती है तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें।

7. तहसील दिवस के दौरान भूमि विवाद सहित आपूर्ति विभाग से सम्बन्धित अधिक शिकायत प्राप्त हुई, जिसके दृष्टिगत उप जिलाधिकारी एवं उपस्थित जिलापूर्ति अधिकारी को निरीक्षण/सत्यापन अभियान चलाकर, जांच करने एवं इसकी सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए । इसके अतिरिक्त भूमि विवाद एवं भूमि पैमाइस की भी शिकायते प्राप्त होने के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी/तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि भूमिधरी की पैमाइश के सम्बन्ध में धारा 41 भू–राजस्व अधिनियम के लम्बित प्रकरणो को अभियान चलाकर निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित कराये। पूर्व में ही भूमि विवाद सम्बन्धी प्रकरणो के त्वरित/ गुणवत्तापूर्वक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 757/ आ0ले0जि0–निर्देश/13 दिनांक 13 जून, 2013 द्वारा निर्देशानुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए और आवश्यकतानुसार पुलिस बल सहित निस्तारण सुनिश्चित कराने एवं प्रति सप्ताह उसकी समीक्षा क्षेत्राधिकारी के साथ करने के भी निर्देश दिए गए ।

8.तहसील दिवस में प्राप्त हो रहे शिकायतो का गुणात्मक समयान्तर्गत निस्तारण करने एवं शासनादेश संख्या 609/1-4-12-11बी-4/2012 दिनांक 16.05.2012 एवं शासनादेश संख्या 1122/1-4-13-11बी-4 /12टीसी दिनांक 14 मई, 2013 में दिए गए निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश किया गयां। उपस्थिति विभागीय अधिकारियों को कडे निर्देशित किया गया कि वे अपने अपने विभागीय जनसमस्याओ के निस्तारण के प्रति रुचि लेकर जनसमस्याओ का निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा इसे गम्भीरता से लेते हुये कठोर कार्यवाही की जायेगा जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होगा।

(यशवन्त राव)
जिलाधिकारी, बलिया

संख्या 588/आ0ले0जि0-तह0दिवस दिनांक :जनवरी 21 ,2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1.आयुक्त एवं सचिव,राजस्व परिषद,उ0प्र0,अनुभाग-12,लखनऊ
2.आयुक्त, आजमगढ मण्डल, आजमगढ।
3.पुलिस अधीक्षक, बलिया।
4.मुख्य विकास अधिकारी, बलिया।
5.मुख्य राजस्व अधिकारी/प्रभारी अधिकारी तहसील दिवस।
6.अपर जिलाधिकारी (वि/रा),बलिया।
7..उप जिलाधिकारी/तहसीलदार,बैरिया, बलिया।,
8.जिला विज्ञान अधिकारी बलिया को इण्टरनेट पर अपलोड करने हेतु।

(यशवन्त राव)
जिलाधिकारी बलिया